TVI )IKII)I

Case No. 67//of/

Order or Proceeding with Signatuaring Presiding Officer

Signature of Parties of pleaders where Necessary

अस्मियोग दण्डनीय सहायक अपराध विरुद्ध A.C. A. Steffer आधिनियमके / आरक्षक. य थाना प्रमारी की अंतर्गत धारा ८ '०% अभियुक्त / अभियुक्तगण आरक्षक आरक्षी केन्द्र जीहरी पत्र प्रस्तुत किया गया H भाग्रह्म के अंग्रह्म व्य र्राह्म के अंग्रह्म आज वत्र/परिवाद

340 ए०डी०पी०ओ० द्वारा

सल्य

THE PLANT वकालतनामा शिष्य अरि 1 0 मेमीरेणडम some! 部 नामान्या। अभियुक्त / अभियुक्त। श्री... प्रक्री का मिल्ला । स्राप्त । म जिला... जनवासी निवासीगण जार होता अम्भेयुक्त / अभिभ्युक्तगण किया।

किया प्रस्तुत भीतर अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि

धारा उपरोक्तानुसार दुष्ट्या अभियोग 四四 巴馬 विरुद प्रथम िकय किया गया। कायवाहा अदिश किया आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/आभियुक्तगण 190-(1) द०प्र0स० के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश अवलोकन पर विवार विरम् आप्राधिक यकरण में संज्ञान के विषय प रेवाद पत्र व प्रस्तुता दस्तावेज पजीयन अभियुक्त / अभियुक्तगण प्रकरण का blbyh/kh

दिलायी वावधानो अभियुक्त / अभियुक्तगण द०प्र०स० की धारा २०७ के अधीन व के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजो की पठनीय प्रति निःशुल्क जाये। जावे । किया

युक्तगण असी अमिरक्षा इतनी अभियुक्त मुंके अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभि से 7000/- (सात हजार रूपये) की प्रतिभूति बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त व्यक्तिगत अर स म जाये।

STREGETT STATES

निक्द वितारण 45 KTRATA अभियुक्तगण अत विचारणीय अभियुक्त सम्बार गया। मामला किया लीक

धार। धारा अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरिचित कर अभियुक्त अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरिचित कर अभियक्त अतः अभिवाक् यथा सभव पर अभियुक्त तान समझाये इकर सुनाये और समझ स्वेच्छया स्वीकार किया। शब्दो में लेखबद्ध किया गया। को पढकर सुनाये करना

साधारण व्यतिकम अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय रमध्य टिकित गया कर घोषित किया अपराध 中 अर्थदण्ड के संदाय में प्रथक .. दिवस स्वेच्छया निर्णय 40 मुद्रांकित प्व अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। रखते अभियुक्त / अभियुक्तगण कि को ध्यान में रख कराकर हस्ताक्षारित, दिनांकित, अपराध के क् तावे अभियुक्त अभियुक्त को उक्त कारावास भ्गताया दशा में खीकारोक्ति अर्थदण्ड

पावती जी अगियुक्त को प्रदान कर निर्णय की निःशुल्क प्रति

जाये।

जसके स्वामी निरस्त किया ये राजसात न्यायालयं के कर रु ० /- स्निय मुल्यहीन होने सुद्गीनामा अपीलीय दशा में वाहन माननीय 3 दशा में व्ययनित की जाये। अपुर्दगी की दशा जाता है तथा अपीन के आदेशों का पालन हो।

आपराधिक पंजी हत अभिनेख़ागाए प्रेषित किया जाये सिवयन परिणाम अभिलेख प्रकरण का 冲 अवधि

पुन्युः

अभियुक् अमियुक्ता / अपित्र निर्णयानुसार् अभे 6836 60.

प्रकरण अर